"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून–248001
Email:- spd-ssa-uk@nic.in
फोन / फैक्स : 0135 : 2781941, 2781942, 2781943

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

"विज्ञप्ति"

राज्य के समस्त राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य / प्रबन्धक

आप अवगत हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में समान रूप से लागू है, तद्क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु **"निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011"** प्रतिपादित की गयी है। राज्य में संचालित समस्त राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत 6–14 वयवर्ग के बच्चों के शैक्षिक हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली (DISE) विकसित की जाती है एवं उक्तानुसार संकलित सूचना राज्य स्तर पर विश्लेषण उपरान्त भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। तद्नुसार ही शिक्षा का अधिकार एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संचालन हेतु वार्षिक कार्ययोजना व बजट का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त किया जाता है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि संकुल समन्वयकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वांछित आंकड़ा संग्रहण प्रपत्र (डी0सी0एफ0) पर विद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं की पूर्ति (आगामी 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार) करते हुए प्रपत्र मूल रूप से सम्बन्धित समन्वयकों को वापस कर दिये जाये। इस सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान) व राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा, देहरादून या राज्य परियोजना कार्यालय में स्थापित **टोल–फ्री न0–1800–180–4132** से सम्पर्क कर सकते है।

आपका सहयोग शिक्षारत एवं शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा।

सधन्यवाद

(श्रीमती मनीषा पंवार) IAS
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(पी0एस0 जंगपांगी) IAS
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।